निर्णय बइजलास द्वारा श्री के.आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

0 69 / 2017 / प्रा.पत्र / निर्णय दिनांक :—25.09.2017

अनवान

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमंद

———प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्यारे लाल पिता मांगीलाल भील निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
2. श्री जमना लाल नाबालिग कालू राम संरक्षक माता कमला पिता हुकमी चन्द भील निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
3. श्रीमती कमला पत्नी हुकमी चन्द भील निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
4. श्रीमती पुनी देवी संरक्षक लक्ष्मण लाल भील निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
5. श्रीमती जेती बाई बेवा मांगीलाल भील निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
6. श्रीमती सीता देवी पत्नी केसा राम भील निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
7. श्रीमती मीना देवी बालिग बेवाराम नाबालिग पिता केसा राम संरक्षक माता सीता देवी बेवा केसा राम भील निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
8. श्री शोभा गोमाराम भील पिता अम्बा भील निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
9. श्री प्रताप सिंह पिता मोहन सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ
10. श्री विक्रम सिंह पिता मोहन सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
11. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री मोहन सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
12. श्रीमती नेनू देवी पत्नी मोहन सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
13. श्री गोविन्द सिंह पिता चतर सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
14. श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू सिंह पिता चतर सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
15. श्री टीकम सिंह पिता चतर सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
16. श्री लक्ष्मणसिंह पिता लखा सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
17. श्री नेनूसिंह पिता लखा सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़

——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता पेश अधिवक्ता गण ने प्रकरण में बहस की। बहस [illegible] प्रकरण का अवलोकन किया विवरण संक्षेप में इस प्रकार है।

राज्य सरकार के प्रतिनिधी तहसीलदार देवगढ़ ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 [illegible]स्थान टिनेन्सी एक्ट के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सोहनगढ़ पटवार हल्का ताल की आराजी [illegible] 1169/1 रकबा 7.00 बीघा कृषि भूमि स्थित इस भूमि का लगान विपक्षी संख्या 1 से 8 जमा करा [illegible] है। उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 से 8 के पिता एवं दादा श्री अजबा पिता भादा भील ने पंजीबद [illegible] दस्तावेज से दिनांक 5/06/1969 को तादादी रूपये 2500.00 में चतर सिंह पिता खंगार सिंह [illegible]स्सा 1/2, लक्ष्मण सिंह, नेनू सिंह पिता लखा सिंह हिस्सा 1/2 रावत निवासी सोहनगढ़ को बेचान [illegible] दी। वर्तमान में बेचान कर्ता की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 6 है। केसा [illegible] भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान क्रम संख्या 9 से 17 है भूमि का विक्रेता अनुसूचित जन जाति [illegible] है जबकि क्रेतागण अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के होने से यह बेचान राजस्थान टिनेन्सी एक्अ 1955 की [illegible]रा 42 का उल्लघंन है। धारा 42 का उल्लघंन होने से प्रश्नगत भूमि का नामान्तकरण क्रेतागण के [illegible] में नही हुआ है। भूमि वर्तमान में विक्रेता के वारिसान के नाम ही चल रही है। प्रश्नगत भूमि का [illegible]कार मूल खाते द्वारा भूमि का प्रतिफल प्राप्त कर जरिये रजिस्टरर्ड बेचान किया है। एसी स्थिति में [illegible]क्रेता के वारिसान दोहरा लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इस प्रकरण का पता प्रार्थी को तब [illegible] जब प्रार्थीया श्रीमती जेती पत्नी मांगीलाल भील ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय [illegible] यहा दिनांक 05.07.2011 को पेश कर उक्त भूमि का कब्जा दिलाने बाबत् निवेदन किया कि उसकी [illegible]मि पर स्वर्ण जातियों के व्यक्तियों ने जबरन कब्जा कर लिया है। इसकी जांच पटवारी हल्का से [illegible]राने पर प्रकरण का पता चला। इसकी जानकारी होते ही राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा [illegible]75 के अन्तर्गत प्रकरण तैयार कर आप न्यायालय में पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible]वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 175 के [illegible]हत कार्यवाही फर्मायी जाकर खातेदारों एवं कब्जेदारों को उक्त भूमि से बेदखल करा भूमि का कब्जा [illegible]मिधारी को दिलाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रतिउत्तर में विपक्षीगण को सम्मन तामिल हो जाने पर भी विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4, [illegible], 6, 7, 8, 14 ने कोई जवाब पेश नही किया बल्कि बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। विपक्षी संख्या 9,10,11,12,13,15,16,17 की ओर से वकील श्री राजेश समदानी ने दिनांक 29.11.2011 को वकालत नामा पेश किया। वकील विपक्षी हर बार सुनवाई दिनांक पर जवाब पेश करने हेतु समय की मांग करते रहे लेकिन आज दिनांक तक उनकी ओर से कोई जवाब पेश नही हुआ है। वकील विपक्षी को जवाब पेश करने का इतन लम्बा समय दिया गया

न वकील विपक्षी ने आज दिनांक तक कोई जवाब पेश नही किया जिस पर उनका जवाब बन्द गया। कब्जे एवं भूमि के रहन बाबत् तहसीलदार देवगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त कि गयी तहसीलदार ाढ़ ने पटवारी हल्का ताल से जांच करा रिपोर्ट पेश की जिसमें निवेदन किया है कि ग्राम ताल की ाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 के खाते में दर्ज है। जिसके आराजी नं. 1098/2क रकबा 9.00 बीघा ाजी नं. 1069/1 रकबा 7.00 बीघा आराजी नं. 1113/1 रकबा 9.05 बीघा कुल किता तीन रकबा 05 बीघा है। आराजी नं. 1113/1 रकबा 9.05 बीघा भूमि भू.वि.बैंक.लि. के नाम नामान्तकरण संख्या 8 दिनांक 20.07.1974 से रहन का दाखिला लगा हुआ है। जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 2037 की खाई के वक्त तीनों आराजी को शामिल करते हुए सम्पूर्ण खाते पर जिला भूमि विकास बैंक के नाम हन का नोट लगा दिया गया जबकि आराजी नं. 1113/1 रकबा 9.05 बीघा पर ही रहन दर्ज होना ाहिये। वकील विपक्षी ने प्रकरण में बहस नही की जिस पर वकील विपक्षी की बहस बन्द हुई।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी जांच रिपोर्ट तहसीलदार देवगढ एवं पत्रावली संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं उन पर मनन किया उक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत भूमि विपक्षी संख्या 1 से 8 जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं। के नाम दर्ज थी विपक्षी संख्या 1 से 8 के पिता एवं दादा श्री अजबा पिता मादा भील ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के रूपये 2500.00 अक्षरे 2500 रूपये में श्री चतर सिंह पिता खंगार सिंह लक्ष्मणसिंह, नेनू सिंह पिता लखा सिंह रावत निवासी सोहनगढ को विक्रय कर दी केता गण अन्य पिछडे वर्ग के होने से यह बेचान राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 42 का उल्लघंन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उक्त विक्रय नियमविरूद्ध होने से ग्राम सोहनगढ़ पटवार हल्का ताल की आराजी नं. 1169/1 रकबा 7.00 बीघा भूमि से विपक्षी संख्या 9 से 17 को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। चुंकि विपक्षी संख्या 1 से 8 के पूर्वजों द्वारा उक्त भूमि का प्रतिफल प्राप्त किया जा चुका है। अतः भूमि का कब्जा विपक्षी संख्या 1 से 8 को नही दिया जा सकता है। एसी स्थिति में उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि आदेशानुसार उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज कर रिपोर्ट मय राजस्व दस्तावेजों के पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द